

पथ निर्माण विभाग

महत्वपूर्ण सूचना

कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित एवं जल संसाधन विभाग द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग के संबंध में।

विज्ञापन सं०-0411, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना द्वारा चयनित एवं जल संसाधन विभाग (तत्कालीन नोडल विभाग), बिहार, पटना द्वारा पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कनीय अभियंता (असैनिक) के 359 अभ्यर्थियों की अनुशंसा सीधी नियुक्ति हेतु प्राप्त हुई।

विदित हो कि पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-8186 (एस) दिनांक-24.07.2009 द्वारा जल संसाधन विभाग (तत्कालीन नोडल विभाग) को अधियाचना उपलब्ध करायी गयी थी। पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं०-6115(एस) दिनांक- 29.07.2013 द्वारा पथ निर्माण विभाग के संयुक्त अभियंत्रण संवर्ग का विभाजन पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं भवन निर्माण विभाग में किया गया।


अतएव उक्त विज्ञापन के तहत बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित एवं जल संसाधन विभाग द्वारा पथ निर्माण विभाग को आवंटित 359 (तीन सौ उनसठ) अभ्यर्थियों का आवंटन विभागीय पत्रांक- 414 (एस) अनु० दिनांक- 11.01.19 द्वारा उपर्युक्त तीन विभागों में निम्नवत् किया गया :-

क्र०सं०	विभाग का नाम	कनीय अभियंता (असैनिक) का आवंटन
1.	ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	166
2.	पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	131
3.	भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना	62
कुल :-		359 (तीन सौ उनसठ)

पथ निर्माण विभाग को आवंटित कुल 131 (एक सौ एकतीस) अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक पहचान एवं वांछित कागजातों के मिलान के लिए 13 फरवरी 2019 की तिथि निर्धारित की जाती है।

कनीय अभियंता (असैनिक) के अनुशंसित अभ्यर्थी, उक्त निर्धारित तिथि को 10:00 बजे पूर्वाह्न में विभागीय मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में उक्त कार्य हेतु उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे।

- काउंसिलिंग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट rcd.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
- उपरोक्त निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने वाले चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में यह समझा जायेगा कि वे नियुक्ति हेतु इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार यह मानते हुए विभाग द्वारा अग्रतर आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।
- काउंसिलिंग में आने जाने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Muni